पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / विविध–15 / 2015 (खण्ड–2) सो०...995...

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

**सतीश रंजन सिन्हा,**
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

**जिला पदाधिकारी,**
भोजपुर।

पटना, दिनांक–...02/07/2021...

विषय :– **संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के हार्डवेयर मरम्मती पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंग :– **समाहरणालय, भोजपुर का पत्रांक–1205 / स्था०, दिनांक–16.12.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा अपने साथ लाए गए हार्डवेयर यथा Desktop, CPU, Printer & UPS इत्यादि के खराब होने पर इसकी मरम्मती होने वाले व्यय का निर्वहन संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा या संबंधित कार्यपालक सहायक द्वारा किया जायेगा, के मार्गदर्शन के संबंध में प्राप्त हुआ है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर नियोजित कार्यपालक सहायकों को शासी परिषद की दिनांक–10.10.2018 एवं दिनांक–15.02.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं मिशन कार्यालय का पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 के द्वारा सभी वर्ग के कार्यपालक सहायक को कम्प्यूटर एवं अन्य निर्धारित हार्डवेयर साथ लाने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त रूपये 1200.00 (एक हजार दो सौ रूपये) मात्र हार्डवेयर भत्ता का प्रावधान किया गया है। निहित है कि अपने साथ लाए जाने वाले कम्प्यूटर एवं अन्य निर्धारित हार्डवेयर को कार्यरत रखने का दायित्व संबंधित कार्यपालक सहायक का है।

उक्त के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

**अनु०:–यथोक्त।**

विश्वासभाजन

2.7.21

**(सतीश रंजन सिन्हा)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / विविध–15 / 2015 (खण्ड–2) सो०...995..., दिनांक...02/07/2021...**

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

2.7.21

**विशेष कार्य पदाधिकारी**

67D:\PREM Office\AO-2.docx

पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो०/योजना–02/2012(खण्ड–II) सो0 488
**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**
**(सामान्य प्रशासन विभाग)**

प्रेषक,

**डॉ. प्रतिमा**
अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी**

पटना, दिनांक– 07/03/2019

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई0टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय के संबंध में।**

महाशय,

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद् की दिनांक–10.10.2018 एवं दिनांक–15.02.2019 की बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सौसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत आई0टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय को निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. <u>कार्यपालक सहायक</u>

1.1 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी अंतर्गत संविदा के आधार पर वर्त्तमान में नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को दो वर्गों में निम्नवत रखा गया है :–

i. **कार्यपालक सहायक वर्ग–I(Entry level):–** वैसे कार्यपालक सहायक जिनका कार्यपालक सहायक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष से कम है, तथा

ii. **कार्यपालक सहायक वर्ग–II:–**वैसे कार्यपालक सहायक जिनका कार्यपालक सहायक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष या उससे अधिक है।

1.2 **कार्यपालक सहायक वर्ग–I** के मानदेय का निर्धारण दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से निम्न सारणी–01 के अनुसार किया गया है:–

**<u>सारणी–01 (Entry level)</u>**

| कार्यपालक सहायक– वर्ग–I | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | 01.07.2018 से लागू दर (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 8739.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 5768.00 |
| 3 | हार्डवेयर (Hardware) भत्ता | 1200.00 |
| 4 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता–(अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1136.00 |
| 5 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4) | 16843.00 |
| 6 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1049.00 |
| 7 | टेक होम मानदेय (1+2+3–6) | 14658.00 |

1.3 **कार्यपालक सहायक वर्ग– II** के मानदेय का निर्धारण दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से निम्न सारणी–02 के अनुसार किया गया है:–

**(लगातार पृष्ठ–2 पर)**

252

सारणी–02

| कार्यपालक सहायक– वर्ग–II | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | क्रम सं0 | 01.07.2018 से लागू दर (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 8739.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 5768.00 |
| 3 | विशेष (Special) भत्ता | 2800.00 |
| 4 | हार्डवेयर (Hardware) भत्ता | 1200.00 |
| 5 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1136.00 |
| 6 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4+5) | 19643.00 |
| 7 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1049.00 |
| 8 | टेक होम मानदेय (1+2+3+4–7) | 17458.00 |

1.4 कार्यपालक सहायक वर्ग– I से कार्यपालक सहायक वर्ग– II मे उत्क्रमित करने हेतु अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 01ली जनवरी तथा 01ली जुलाई को आधार मानकर की जाएगी तथा उक्त तिथि को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक की सेवा पूरा करने वाले कार्यपालक सहायकों को 'कार्यपालक सहायक वर्ग–II' में उत्क्रमित किया जायेगा।

1.5 **कार्यपालक सहायक– दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग**

1.5.1 उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों का एक अलग वैसा वर्ग होगा जो बेल्ट्रान अथवा सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होगा । इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कार्यपालक सहायकों को 'कार्यपालक सहायक–दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 'वर्ग में रखा जायेगा।

1.5.2 दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों को आर्थिक लाभ 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत पहले आने वाली तिथि) से देय होगा।

1.5.3 'कार्यपालक सहायक–दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग' के मानदेय का निर्धारण निम्न सारणी–03 के अनुसार किया गया हैः–

सारणी–03

| कार्यपालक सहायक– दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | मानदेय एवं अन्य दरें (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 11275.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 7442.00 |
| 3 | हाडवेयर (Hardware) भत्ता | 1200.00 |
| 4 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1466.00 |
| 5 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4) | 21383.00 |
| 6 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1353.00 |
| 7 | टेक होम मानदेय (1+2+3–6) | 18564.00 |

## 2. आई0टी0 सहायक

2.1 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई. टी सहायकों के मानदेय का निर्धारण दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से निम्न सारणी–04 के अनुसार किया गया है।

(लगातार पृष्ठ–3 पर)

सारणी–04 (Entry level)

| आई0टी0 सहायक | | |
|---|---|---|
| क्रम स0 | विवरण | 01.07.2018 से लागू दर (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 13000.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 8580.00 |
| 3 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1690.00 |
| 4 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3) | 23270.00 |
| 5 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1560.00 |
| 6 | टेक होम मानदेय (1+2–5) | 20020.00 |

2.2 आई0टी0 सहायक– दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण

2.2.1 उपर्युक्त के अतिरिक्त आई.टी. सहायकों का एक अलग वैसा वर्ग होगा जो बेल्ट्रान अथवा सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होगा । इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आई.टी. सहायकों को 'आई.टी. सहायक–दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 'वर्ग में रखा जायेगा।

2.2.2 दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण आई.टी. सहायकों को आर्थिक लाभ 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत पहले आने वाली तिथि) से देय होगा।

2.2.3 'आई.टी. सहायक–दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग' के मानदेय का निर्धारण निम्न सारणी–05 के अनुसार किया गया है:–

सारणी–05

| आई0टी0 सहायक– दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | मानदेय एवं अन्य दरें (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 15900.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 10494.00 |
| 3 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1950.00 |
| 4 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3) | 28344.00 |
| 5 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1800.00 |
| 6 | टेक होम मानदेय (1+2–5) | 24594.00 |

## 3. आई0टी0 प्रबंधक

3.1 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई0टी0 प्रबंधकों को दो वर्ग में निम्नवत रखा गया है:–

i. **आई. टी प्रबंधक वर्ग–I:–** वैसे आई.टी. प्रबंधक जिनका आई.टी. प्रबंधक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष से कम है, तथा

ii. **आई. टी प्रबंधक वर्ग–II:–** वैसे आई.टी. प्रबंधक जिनका आई.टी. प्रबंधक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष या उससे अधिक है । यह वर्गीकरण मात्र वर्त्तमान में मानदेय स्तर के अलग–अलग निर्धारण हेतु है और यदि कोई आई.टी. प्रबंधक की सेवा अगले दो या तीन वर्ष के पश्चात यदि पाँच वर्ष पूरी भी हो जाती हो तो उन्हें आई.टी. प्रबंधक वर्ग–1 के अंतर्गत ही रहेंगे और वर्त्तमान निर्धारित मानदेय पर ही वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ पायेंगे ।

3.2 आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–I के मानदेय का निर्धारण दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से निम्न सारणी–06 के अनुसार किया गया है:–

(लगातार पृष्ठ–4 पर)

250

सारणी–06 (Entry level)

| आई0टी0 प्रबंधक– वर्ग–I | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | 01.07.2018 से लागू दर (रू. में) |
| 1 | मूल मानदेय | 24100.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 15906.00 |
| 3 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1950.00 |
| 4 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3) | 41956.00 |
| 5 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1800.00 |
| 6 | टेक होम मानदेय (1+2–5) | 38206.00 |

**3.3** आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–II के मानदेय का निर्धारण दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से निम्न सारणी–07 के अनुसार किया गया हैः–

सारणी–07

| आई0टी0 प्रबंधक– वर्ग–II | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | 01.07.2018 से लागू दर (रू. मे) |
| 1 | मूल मानदेय | 32077.00 |
| 2 | अन्य भत्ता | 21171.00 |
| 3 | ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) | 1950.00 |
| 4 | कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3) | 55198.00 |
| 5 | ई0पी0एफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत) | 1800.00 |
| 6 | टेक होम मानदेय (1+2–5) | 51448.00 |

4. जैसा कि सारणी–1. 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि सभी वर्ग के कार्यपालक सहायकों को कम्प्यूटर तथा अन्य निर्धारित हार्डवेयर साथ लाने के लिये प्रति माह अतिरिक्त 1200/– (एक हजार दो सौ रुपये मात्र) का हार्डवेयर भत्ता का प्रावधान किया गया है। यदि कम्प्यूटर एवं अन्य निर्धारित हार्डवेयर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित कार्यपालक सहायक को हार्डवेयर भत्ता भुगतेय नहीं होगी।

5. इन कार्यपालक सहायक, आई0टी0 सहायक एवं आई. टी. प्रबंधकों को मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देय होगी । इसकी गणना प्रत्येक वर्ष 01ली जनवरी तथा 01ली जुलाई को आधार मानकर की जायेगी। तदनुसार पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि अथवा नियोजन की तिथि (नये नियोजनों के मामले मे) से सफल सेवा का 01 वर्ष पूर्ण किये जाने की स्थिति में 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (जो लागू हो) से आर्थिक लाभ देय होगा।

6. भविष्य में इन पदों के विरूद्ध नियोजित कर्मियों के इन्ट्री मानदेय का निर्धारण वर्ष 2018 को आधार मानकर उसमें प्रत्येक वर्ष (01ली जुलाई को) 05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष जून माह में पत्र द्वारा यह संसूचित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

7/3/19

(डॉ. प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

**ज्ञापांक–बि०प्र०सु०मि०सो०/योजना–02/2012(खण्ड–II) सो0** 488 **दिनांक** 07/03/2019

**प्रतिलिपिः**–सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

7/3/19

अपर मिशन निदेशक

E:\PRASHANT KUMAR\...Letter Final.docx